



Neutral Citation No - 2026:AHC:28598

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-ए संख्या - 2026 की 1893

हरि किशन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : हनुमान किंकर
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शुक्ल एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की व्यथा यह है कि वे 2008 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभाशंकर दुबे बनाम प्रभागीय वन अधिकारी, (2019) 12 SCC 297 में प्रतिपादित निर्णय के आलोक में उन्हें न्यूनतम वेतनमान, जो 18000/- रुपये प्रतिमाह है, स्वीकृत नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह निवेदन है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथमतः प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना अपेक्षित है।
4. विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर, सख्ती से विधि अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने हेतु अग्रसर होंगे।

10 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"